राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी :— पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व मूल वाद सख्या 36/2025

वादीगण

1. श्रीमती अमिया देवी पुत्री स्व. श्री भलाराम पत्नि श्री खीमाराम पटेल पेट्रोल पंप के पास गांव धुंधाड़ा तहसील लूणी
2. श्रीमती लेहरी पुत्री स्व. भलाराम पत्नि स्व. श्री भलाराम पटेल कुम्हारों की गली गांव रोहिचा कल्लां तहसील लूणी
3. श्रीमती कमलादेवी पुत्री स्व. भी भलाराम पत्नि श्री बाबुलाल पटेल रामदेवरा के पास गांव धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. श्री सुखीदेवी पुत्री स्व. श्री भलाराम, पत्नि श्री भोमाराम पटेल रामनदे नगर बोरना डेयरी बनाड़ मार्ग नांदड़ी
5. श्री भगवंती पुत्री स्व. श्री भलाराम पत्नि श्री सांवलराम पटेल निवासी लाटोंवाली ढाणी गांव रोहिचा खुर्द तहसील लूणी।

प्रतिवादीगण

1. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि श्री चुतराराम पटेल निवासी रोहिचा कल्लां तहसील लूणी जिला जोधुपर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थितिः

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धनराज चौधरी
2. प्रतिवादीगण की ओर से भागीरथ विश्नोई
3. प्रतिवादी सख्या 2 की ओर से राजकीय पैरोकार

दिनांक 06-5-2025

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 के पिता स्व. भलाराम पुत्र श्री तुलछाराम के खातेदारी व कब्जा—काश्त कृषि भूमि खेत खसरा सख्या 121 रकबा 111 बिघा 7 बिस्वा भुमि ग्राम रोहिचा कल्ला पटवार भाचरना, तहसील लूणी में आइ हुई है जो कि उक्त कृषि भूमि ग्राम कृष्णा नगर पटवार हल्का रोहिचा कल्ला तहसील लूणी में आई हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 के पिता स्व. श्री भलाराम ही अपनी इस खातेदारी की कृषि भूमि एकमात्र रेकर्डेड खातेदार—काश्तकार थे। वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 1, स्व. श्री भलाराम पुत्र श्री तुलछाराम पटेल व स्व. झमकु पत्नि स्व. श्री भलाराम की पुत्रियां है। वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 रिश्ते में सगी बहने है एवं स्व. श्री भलाराम की विधिक उत्तराधिकारी एवं पुत्रिया है। विवादित कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 के पिता स्व. भलाराम एकमात्र खातेदार—काश्तकार थे तथा उनका ही कब्जा काश्त चला आ रहा था। कालान्तर में सन् 1998 में वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 के पिता स्व. भलाराम का देहांत हो जाने पर उक्त भूमि उनकी पत्नि स्व. श्रीमती झमकु व छः

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पुत्रिया वादीगण व प्रतिवादीनी संख्या 1 उत्तराधिकार में प्राप्त हुई और स्व. श्री भलाराम के सभी उत्तराधिकारी पत्नि व पुत्रियां उनकी खातेदारी व कब्जा–काश्त की विवादित कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से बहैसियत खातेदार–काश्तकार काबिज है एवं उपयोग–उपभोग करने लगे। इसके पश्चात कालान्तर में वादीगण व प्रतिवादीनी सख्या 1 की माता स्व. श्रीमती झमकु का स्वर्गवास दिनांक 26.01.2025 को हो जाने पर उनके हिस्से की भूमि उनकी उत्तराधिकारी पुत्रियों वादीगण व प्रतिवादीनी संख्या 1 को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई है। वादीगण की माता स्व. श्रीमती झमकु का अकेले का इस विवादित कृषि भूमि में कोई भी हक, हिस्सा व अधिकारी नहीं था, केवल सहखातेदार थी। वादीगण के माता स्व. श्रीमती झमकु के स्वर्गवास के बाद अभी हाल ही में माह मार्च 2025 में वादीगण ने संयुक्त हिस्सेदारी की विवादित कृषि भूमि का बंटवारा करने हेतु प्रतिवादीनी संख्या 1 से निवेदन करने पर पहले तो हामी भरी परंतु बाद में आनाकानी करने लगी। जिससे वादीगण को संदेह हुआ कि प्रतिवादीनी संख्या 1 विवादित कृषि भूमि बंटवाड़ा नहीं कर वादीगण के हक व हिस्से की भूमि को हड़प करना चाहती है। इसके पश्चात वादीगण ने अपने पिता स्व. श्री भलाराम की विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जांच–पड़ताल करवाई तो ज्ञात हुआ कि विवादित कृषि भूमि अकेली प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं वादीगण के पिता स्व. श्री भलाराम के स्वर्गवास के बाद उनकी माता स्व. श्रीमती झमकु ने राजस्व अधिकारियों को मुगालते में रखकर अथावा उनसके मिलावट करके विवादित कृषि भूमि को अपने अकेले नाम करवा दी और अपने का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया साथ ही वादीगण की माता श्रीमती झमकु ने अपने जीवनकाल में गलत रूप से विवादित कृषि भूमि को अपनी अकेली की बताकर विवादित कृषि भूमि प्रतिवादिनी संख्या 1 को बख्शीश करके उसके हक में बख्शीशनामा दिनांक 02.08.2024 को निष्पादित करवा दिया जो उपपंजीयक लूणी के यहां पंजीबद्ध किया गया। वादीगण ने राजस्व रेकर्ड व बख्शीशनामे की नकलें प्राप्त करने पर पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है। विवादित कृषि भूमि में स्व. श्री भलाराम की पत्नी श्रीमती झमकु का 1/7 हिस्सा ही था, उन्होने गलत रूप से विवादित कृषि भूमि में अपना अकेले का नाम दर्ज करवाया था। स्व. श्री भलाराम के स्वर्गवास के पश्चात भूमि में उनके उतराधिकारी पत्नि एवं पुत्रियों प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बनता था और स्व. श्रीमती झमकु पत्नि स्व. श्री भलाराम के स्वर्गवास के उपरांत विवादित कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से की विवादित कृषि में संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। प्रतिवादीनी संख्या 1 को विवादित कृषि भूमि में किसी तरह के कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं प्रतिवादीनी संख्या 1 बावजूद समझाने एवं वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाने के उपरांत भी नहीं मान रही है, जो वाद कारण पैदा हुआ और लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा इस माननीय न्यायालय के मार्फत करावे। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की पारित कर यह ग्राम कृष्णा नगर पटवार हल्का रोचिा कल्ला तहसील लूणी के खसरा सख्या 121 रकबा 111 बिघा 7 बिस्वा भुमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादीनी के हक में निष्पादित पूर्व का बख्शीशनाम को वादीगण के हक–हिस्सा व अधिकारों के खिलाफ पूर्ण रूप से शून्य, बेअसर व निष्प्रभावी घोषित किया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण सख्या 1 उपरोक्त खसरान में किसी प्रकार का विक्रय, हस्तांतरित एवं वादीगण के उपयोग–उपभोग व कब्जे में किसी प्रकार की कोई बाधाए या दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करे।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर सम्बन्धित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजूदा प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया। दोनो पक्षों द्वारा राजीनामा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पेश करने हेतू मिसल तलबी एवं राजीनामा पेश करने हेतू अनुमति चाही गई है। प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रालवी किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीनी अधिवक्ता द्वारा
राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मौजूदा प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीनी संख्या 1
आपस में सगी बहनें है और स्व. श्री भलाराम व स्व. श्रीमती झमकू की जाइन्दा पुत्रिया हैं।
वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 के मध्य आपसी बातचीत, समझाईश व लोक अदालत की
भावना से राजीनामा हो गया है। इस मुकदमे का राजीनामें के अनुसार मुकदमे का निस्तारण
किया जावें। वादीगण को विवादित कृषि भूमि का सहखातेदार–सहकाश्तकार घोषित किया
जावें है एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 के हक में निष्पादित बख्शीशनामा को वादीगण के अधिकारों
के विरूद्ध बेअसर घोषित किया जाता है एवं वादीगण का नाम विवादित कृषि भूमि के राजस्व
रेकर्ड में सह–खातेदार सह–काश्तकार के रूप में अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा
का अवलोकन किया गया। चूंकि दोनो पक्षकारान् द्वारा राजीनामें के अनुसार मुकदमे का
निस्तारण किया जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत
राजीनामे को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिकी
किया जाता हैं कि वादीगण का ग्राम कृष्णा नगर पटवार हल्का रोहिचा कल्ला तहसील लूणी
के खसरा सख्या 121 रकबा 111 बिघा 7 बिस्वा भुमि में अपने हक हिस्से अनुसार खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीनी संख्या 1 के हक में निष्पादित बख्शीशनामा
दिनांक 02.08.2024 को वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध पूर्ण रूप से शुन्य, बेअसर व
निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से
कम हो।

अतः–वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है डिकी पर्चा
जारी हो पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 06-5-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 36 / 2025

1. श्रीमती अमिया देवी पुत्री स्व. श्री भलाराम पत्नि श्री खीमाराम पटेल पेट्रोल पंप के पास गांव धुंधाड़ा तहसील लूणी
2. श्रीमती लेहरी पुत्री स्व. भलाराम पत्नि स्व. श्री भलाराम पटेल कुम्हारों की गली गांव रोचा कल्लां तहसील लूणी
3. श्रीमती कमलादेवी पुत्री स्व. भी भलाराम पत्नि श्री बाबुलाल पटेल रामदेवरा के पास गांव धुंधाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. श्री सुखीदेवी पुत्री स्व. श्री भलाराम, पत्नि श्री भोमाराम पटेल रामनदे नगर बोरना डेयरी बनाड़ मार्ग नांदड़ी
5. श्री भगवंती पुत्री स्व. श्री भलाराम पत्नि श्री सांवलराम पटेल निवासी लाटोंवाली ढाणी गांव रोहिचा खुर्द तहसील लूणी।

1. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि श्री चुतराराम पटेल निवासी रोहिचा कल्लां तहसील लूणी जिला जोधुपर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 36 / 2025 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

तहसीलदार लूणी को निदेशित किया जाता है कि वादीगण को ग्राम कृष्णा नगर पटवार हल्का रोहिचा कल्ला तहसील लूणी के खसरा सख्या 121 रकबा 111 बिघा 7 बिस्वा भुमि में अपने हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। प्रतिवादीनी संख्या 1 के हक में निष्पादित बख्शीशनामा दिनांक 02.08.2024 को वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध पूर्ण रूप से शुन्य, बेअसर व निष्प्रमावी घोषित किया जाता है।

नीज.................................मुवलिक.................................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.................................को अदा करें।
.................................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.................................

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 06-5-2025 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा रआम्प			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र संख्या : 10/2025

प्रार्थी — अप्रार्थी

ममता गौड बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

किस्म मुकदमा– खाता का एकीकरण करने बाबत।

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/1/2025	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खाता दुरस्तीकरण/एकीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया गया प्रार्थना पत्र मे जॉच रिपोर्ट वास्ते तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भू.अ/2024/2050 दिनाक 08.07.2024 के प्रकरण मे जॉच रिपोर्ट प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने के पश्चात प्रकरण मे ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 115/7 से 115/14 का एकीकरण किया जाने योग्य प्रकरण प्रतीत होता है तथा तहसीलदार लूणी द्वारा भी मौका फर्द एवम एकीकरण प्रस्ताव शुद्व किया जाने की अनुशषा की गई। अतः–प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खाता दुरस्तीकरण/एकीकरण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनाक 08.07.2025 के अनुसार खाता दुरस्तीकरण/एकीकरण प्रस्ताव किया जावे एवम मौका फर्द दिनाक 08.07.2025 एवम एकीकरण प्रस्ताव आदेश का भाग समझा जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Forward
08/07/2024

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) लूणी जिला–जोधपुर ग्रामीण

क्रमांक /भू.अ. /2024 /2050

दिनांकः– 08.07.2024

प्रेषित :– श्रीमान उपखंड अधिकारी ,लूणी
जिला जोधपुर

विषय :– खाता दुरस्तीकरण / एकीकरण बाबत् ।

प्रसंगः– आपके आदेश क्रमांक /कोर्ट/2024 / 381 दिनांक 03–07–2024 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी ममता गौड़ पत्नि केशाराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सालावास के खसरा न. 115 /7 से 115/14 का एकीकरण हेतु निवेदन किया । जिसकी जाँच हल्का पटवारी सालावास द्वारा करवायी गयी । मौका फर्द एवम् एकीकरण प्रस्ताव संलग्न कर श्रीमान् की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(देवाराम)
तहसीलदार (भू. अ.) लूणी
जिला–जोधपुर ग्रामीण

Validity unknown

Digitally signed by Deva Ram
Designation : Tehsildar
Date: 2024.07.08 18:12:12 IST
Reason: Approved
Raj...
8765689